क्रम-संख्या–281

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 31 दिसम्बर, 2020

पौष 10, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2165 / 79-वि-1–20-2(क)-25-2020

लखनऊ, 31 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 2020) जिससे चीनी उद्योग अनुभाग–3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की धारा 22 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 22 में शब्द "पचास हजार रूपये" के स्थान पर शब्द "एक लाख रूपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 24 में शब्द "पचास हजार रूपये" के स्थान पर शब्द "एक लाख रूपये" रख दिये जायेंगे।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 2165(2)/LXXIX-V-1-20-2(ka)25-2020
Dated Lucknow, December 31, 2020

IN pursuance of the provisons of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Purti Tatha Kharid Viniyaman) (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 23 of 2020) promulgated by the Governor. The Chini Udyog Anubhag-3 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(U.P. Ordinance no. 23 of 2020)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Second Amendment) Ordinance, 2020.

2. In section 22 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act, for the words "rupees fifty thousand" the words "one lakh rupees" shall be *substituted*. Amendment of section 22 of U.P. Act no. 24 of 1953

3. In section 24 of the principal Act, for the words "fifty thousand rupees" the words "one lakh rupees" shall be *substituted*. Amendment of section 24

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 559 राजपत्र–2020–(1159)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 170 सा0 विधायी–2020–(1160)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

559_RPH_2020 (U.P. Sugarcane) Adhyadesh 2020-4e